सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 180/18 **निर्णय दिनांकः 25.06.2018**

1. सवाई सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी डेलीतलाई तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12—03—2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 12—03—2018 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/08 में 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त

रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण व अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह साधारण नोटिस है अथवा रजिस्टर्ड नोटिस कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। साधारण नोटिस है तो उस पर कोई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट नहीं है। अदालत मातहत की फर्द अहकाम में कहीं भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश नहीं दिये गये है। बिना आदेश यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते है तो ऐसे नोटिस की कानून में कोई अहमियत नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नोटिस मान भी लिया जावे तो उसकी रसीद या एडी पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में यह अभिलिखित व सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट ाा पेज 1338 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण व वादगत् भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/08 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातमहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु व बकाया सबूत पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 3327 दिनांक 08—05—2006 व 5423 दिनांक 08—12—2006 जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् 20 प्रतिशत राशि व बकाया सबूत पेश करें। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही वांछित सबूत प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 12—03—2018 को निरस्त कर दिया गया।

(2) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया व अदालत मातहत के आदेश दिनांक 12—03—2018 में भी अभिलिखित है कि वादगत् भूमि 11 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 146/8 की 25 बीघा भूमि हेतु 20 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साबित नहीं होता है ना ही ऐसी कोई रसीद अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई हो।

(3) प्रकरण में अपीलांट बावजूद नोटिस निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई व ना ही वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन की दिनांक से 6 माह के भीतर–भीतर निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना अपरिहार्य है।

(4) यदि निर्धारित अवधि अर्थात 6 माह के भीतर–भीतर निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त माने जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है का कोई औच्तिय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व वादगत् भूमि अन्य व्यक्ति मतीसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी डेलीतलाई को आवंटित होने व उनके नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो विधि सम्मत है।

(5) विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1338 में अभिलिखित है किः–

Rajasthan Colonisation (Allotement & Sale of Governemnt Land in Indira Gandhi Canal Colony Project Area) Rules, 1975 _ Rule 23 (2) - Application for allotment of the land rejected - Application rejected on the ground that the applicant is resident of other Tehsil - One more person 'HR' submitted the application, Allotment already made to 'HR' on 24.6.2010 - Application rejected by filing the cyclostyled form - unreasoned & non-speaking order - Held, Order Set aside - case remanded.

मामलें पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि **अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पूर्णतया स्पीकिंग आदेश है ना की साईक्लोस्टाईल आदेश है। प्रकरण में वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति मतीसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी डेलीतलाई तहसील पूगल को किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटी उसी तहसील का निवासी होना भी साबित है।**

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 12–03–2018 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर